निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 880) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

8 जून 2015

सं० 22/नि0सि0(मोति0)–08–03/2004/1291—श्री नुरूद्धीन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, बाल्मीकिनगर के विरूद्ध एजेण्डा संख्या 77/350 के निविदा कागजात की छीनाझपटी, कार्य में रूचि नहीं लेने, अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने, विशिष्टि के अनुरूप कार्य सम्पन्न नहीं कराने, लीड में परिवर्तन किये जाने, कार्य ससमय पूरा नहीं होने आदि कतिपय प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प संख्या 785 दिनांक 07.08.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 3041 दिनांक 28.10.14 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि इनके विरूद्ध निविदा कागजात के छीनाझपटी के मामले में ससमय प्राथमिकी दर्ज नहीं कराना, बराज के अप स्ट्रीम में ससमय कार्य प्रारंभ नहीं कराना, मिट्टी ढुलाई में विलम्ब करना आदि का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया था। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन, आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण और विभागीय समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि निविदा की छीनाझपटी 11.01.03 को हुई थी और श्री नुरूद्धीन द्वारा 31.05.2003 को प्रभार लिया गया था। अतएव यह आरोप इन पर प्रमाणित नहीं होता है। लेकिन 3125.35 घन मीटर बोल्डर के लिए 15 कि0 मी0 के स्थान पर 70 कि0 मी0 लीड पर भुगतान करने का भी आरोप इनके विरूद्ध लगाये गये। इस संदर्भ में जल संसाधन विभाग के मोनिटरिंग अंचल से प्राप्त संचिका से यह सूचना मिलती है कि उक्त अतिरिक्त लीड की स्वीकृति विभागीय स्तर से दी जा चुकी थी। इसलिए यह आरोप इन पर प्रभावी नहीं होता है। मिट्टी कार्य का प्रस्ताव विलम्ब से देने का आरोप भी इन पर साबित नहीं होता है क्योंकि इन्होंने दिनांक 31.05.2003 को अपराह्न में योगदान दिया था और दिनांक 04.06.03 को प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता को समर्पित कर दिया गया था।

इस प्रकार मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री नुरूद्धीन के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। अतएव अप्रमाणित आरोपों के लिए श्री नुरूद्धीन को आरोप मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री नुरूद्धीन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, बाल्मीकिनगर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, खगड़िया के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संचिकास्त किया जाता है।

उक्त निर्णय श्री नुरूद्धीन को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 880-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in